

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/164155/BRB/BARABANKI/1690/CFO

दिनांक: 04-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHALIMAR CORP LTD. AND IMPERIAL GREEN INFRA ESTATE PVT.LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KH NO 554A 557 558MIN 560 561 556 563 564 KEWARI,PARGANA DEWA,BARABANKI** तहसील - **NAWABGANJ** प्लॉट एरिया **13093.93 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **15972.32** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	7	1	21.00 mt.
B	7	1	21.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SHALIMAR CORP LTD. AND IMPERIAL GREEN INFRA ESTATE PVT.LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SHALIMAR CORP LTD. AND IMPERIAL GREEN INFRA ESTATE PVT.LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1. मानचित्र में ब्लॉक A व B बेसमेन्ट तथा भूतल से छठें तल तक प्रस्तावित है, यदि भवन का ढांचागत व अधिभोग (आक्यूपेंसी) परिवर्तन/विस्तार कराया जाता है, तो अग्निशमन विभाग को सूचित/अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 2. भवन का संरचनात्मक निर्माण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसार कराया जाय। 3. भवन का अधिभोग से पूर्व NBC 2016 तथा F&ES RULES 2024 के अनुसार दोनों ब्लॉकों में पृथक-पृथक टेरिस टैंक क्षमता 25000ली0, इलेक्ट्रिक फायर पम्प 900 LPM01, होजरील, डाउनकमर, MOEFA, फायर एक्सटिंग्यूशर, बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर सिस्टम व कम्पार्टमेन्टेशन, स्मोक एक्झास्ट सिस्टम, स्मोक चेकडोर, एग्जिट साइन, PA सिस्टम स्थापित कराया जाना तथा भवन अधिभोग से पूर्व इलेक्ट्रिक ऑडिट विद्युत सुरक्षा विभाग से कराना होगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Raj Prakash Rai)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-07-2025

स्थान : BARABANKI

[EE2271CB0A164031AF65D24F156AD8B3A93C24E9]

05-07-2025